



डॉ० भीमराव आम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी
मुरादाबाद ।

अन्वेषण अधिकारियों के लिए
आवश्यक प्रपत्रों के प्रारूप

**प्रारूप
अनुक्रमणिका**

क्र० स०	फार्म	पूर्ववर्ती धारा	पृष्ठ संख्या
1	पुलिस द्वारा उपस्थिति के लिये नोटिस, धारा 35(3) बीएनएस-2023	धारा 41ए सीआरपीसी	3-4
2	गिरफ्तारी मीमो, धारा 35 बीएनएस-2023	धारा 41बी सीआरपीसी	5-7
3	जमानत पत्र/ व्यक्तिगत बन्धपत्र, धारा 83 बीएनएस एस-2023	धारा 81 सीआरपीसी	7
4	दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिये समन, धारा 94 बीएनएस-2023	धारा 91 सीआरपीसी	8
5	फार्म नं०-13: शांति बनाये रखने के लिये बन्धपत्र, धारा 125/126 बीएनएस-2023	धारा 106/107 सीआरपीसी	9
6	गवाह को समन, धारा 179 बीएनएस-2023	धारा 160 सीआरपीसी	10
7	फार्म न०-30: अभियोग चलाने या साक्ष्य देने के लिये बन्धपत्र धारा 190 बीएनएस-2023	धारा 170 सीआरपीसी	11

8	फॉर्म न0-47 : न्यायालय या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिये जमानत पत्र और बन्धपत्र, धारा 478, 479, 480, 481, 482(3),485 बीएनएसएस-2023	धारा 436, 436(ए), 437,437(ए) 438, 441 सीआरपीसी	12
9	दस्तावेज का जब्ती मीमो, धारा 94 बीएनएसएस-2023	धारा 91 सीआरपीसी	13
10	चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध पत्र, धारा 51, 52, 164 बीएनएसएस-2023	धारा 53, 53क,164क सीआरपीसी	14
11	प्रमाण-पत्र, धारा 63(4)(सी) बीएसए-2023	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15-17
12	व्यक्ति की तलाशी मीमो, धारा 49 बीएनएसएस-2023	धारा 51 सीआरपीसी	18
13	विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु अग्रसारण पत्र	-	19-20
14	समन किये गये व्यक्ति को नोटिस देने की शक्ति, धारा 185 बीएनएसएस- 2023	धारा 175 सीआरपीसी	21
15	अन्वेषण की प्रगति रिपोर्ट, धारा 193(3)(ii) बीएनएसएस-2023	-	22

16	बालकों द्वारा अपराध के मामले संबंधी प्रारूप, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण)-अधिनियम 2015, एवं उत्तर प्रदेश के किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम-2019	-	23-34
----	--	---	-------

पुलिस द्वारा उपस्थिति के लिये नोटिस,

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0.....अन्तर्गत धारा.....दिनांक.....
थाना.....रो0आम संख्या व समय.....
थाना.....दिनांक.....जनपद.....

सेवा में,

.....
अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम

.....
(अन्तिम ज्ञात पता)

.....
दूरभाष संख्या/ई-मेल पता, (यदि कोई हो)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना..... पर पंजीकृत एफआईआर/मु0अ0सं0 संख्या.....दिनांक.....धारा..... के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक.....समय.....अपराह/पूर्वाह्, थाना..... पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के संबंध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, आपको निम्नांकित सभी शर्तों/निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
- ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी, प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
- घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
- ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
- च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये अन्वेषण के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
- छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

- ज- आप सहअपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
- झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे
- ञ- कोई अन्य शर्त, जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारसाधक अधिकारी का नाम और पदनाम
थाना (मुहर)

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांकके अनुपालन में, नोटिस प्राप्तकर्ता दिनांकसमय.....से.....तक उपस्थित हुआ है। पुलिस थाने द्वारा रखे गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

(विवेचक के हस्ताक्षर)

प्रथम सूचना रिपोर्ट/रोओआम संख्या.....
दिनांक.....अन्तर्गत धारा.....थाना.....
जनपद

गिरफ्तारी-मीमो
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35 के
अन्तर्गत)

(भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

1. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम और उसके माता- पिता नाम	
2. मोबाईल नम्बर/वॉट्स-अप मोबाईल नम्बर/ई-मेल आईडी	
3. गिरफ्तार व्यक्ति का वर्तमान पता	
4. गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	
5. प्रोसूओरिओ/रोओआम संख्या एवं धारा/दिधि	
6. गिरफ्तारी का स्थान	
7. गिरफ्तारी की तारीख और समय	
8. गिरफ्तारी के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल-आईडी और फोन/मोबाइल नम्बर	
9. गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद और संख्या	

10. गिरफ्तारी का कारण	
क- ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रतर अपराध करने से निवारित करने के लिए।	
ख- अपराध के उचित अन्वेषण करने के लिए।	
ग- ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए।	
घ- ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने या वचन देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न जा सके।	
ङ- क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है उसकी न्यायालय में उपस्थिति जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।	अभियुक्त का पता जो सत्यापित होना शेष है। (आवश्यक होने पर)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

गवाह—

1.....

2.....

अन्वेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

थाना

दिनांक

प्रथम सूचना रिपोर्ट..... धारा..... दिनांक.....
थाना.....जनपद.....

प्रारूप संख्या-4

**वारंट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात जमानत पत्र
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 83 के
अन्तर्गत)**

मैं, (नाम)..... मो0न0.....
वाट्स-अप नम्बर..... ई-मेल आइडी.....
.....पुत्र..... निवासी.....
हूँ। जिसके द्वारा मैं स्वयं को श्री/श्रीमति.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री..... निवासी.....
.....के लिये प्रतिभू घोषित करता हूँ कि वह उस आरोप
का उत्तर देने के लिये जिसके लिये कि वह गिरफ्तार किया
गया है, अगली दिनांक.....समय.....को
न्यायालय/पुलिस.....के समक्ष हाजिर होगा और
जब तक न्यायालय/पुलिस द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया
जाये, तब तक वह उपस्थित होता रहेगा और मैं अपने को
आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो मेरी.....
.....रुपये की धनराशि सरकार को समपहृत हो जायेगी।
दिनांक:

(हस्ताक्षर)

प्रमाणित

प्रारूप संख्या-4
वारण्ट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात व्यक्तिगत बन्धपत्र
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 83 के
अन्तर्गत)

मैं, (नाम)..... मो0न0.....
वाट्स-अप नम्बर..... ई-मेल आइडी..... पुत्र.
.....
निवासी.....

हूँ। इसके द्वारा मैं स्वयं को श्रीमान.....
के न्यायालय में उपस्थित होकर आरोप का उत्तर देने के लिये
आबद्ध करता हूँ। उक्त आरोपों का उत्तर देने के लिये मैं
अगली दिनांक..... समयको
न्यायालय में हाजिर होऊंगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा
अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये ऐसे हाजिर होता रहूँगा और मैं
अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो
मेरीरुपये की राशि सरकार को समपहृत हो
जायेगी।

(हस्ताक्षर)

प्रमाणित

कार्यालय _____, थाना _____
जनपद _____
प्रथम सूचना रिपोर्ट _____ अन्तर्गत धारा _____
दिनांकित _____ थाना _____ रो0आम संख्या/समय _____
थाना _____ दिनांकित _____ जनपद _____
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 94 के
अन्तर्गत नोटिस)

सेवा में,

अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम _____
(अन्तिम ज्ञात पता) _____
दूरभाष संख्या/ई-मेल पता, (यदि कोई हो) _____

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मामला
शिकायतार्ता नाम _____ पुत्र _____ निवासी _____
के द्वारा _____ दिनांकित _____ को पंजीकृत
कराया गया है। मामले का अन्वेषण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया
जा रहा है।

अन्वेषण के उद्देश्य से आपको इस नोटिस के माध्यम से नीचे
उल्लिखित विवरण/दस्तावेज थाना _____ दिनांक _____
समय _____ पूर्वान्ह/अपरान्ह पर अधोहस्ताक्षरी को
उपलब्ध कराने अथवा उपलब्ध न कराने के कारण बताने को
निर्देशित किया जाता है।

दस्तावेजों का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

इस नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने में विफलता पर आप भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 210 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

(थाने के भारसाधक
अधिकारी के हस्ताक्षर)

थाना.....

जनपद.....

दिनांक.....

प्रारूप संख्या-13.
शांति बनाये रखने के लिए बन्ध पत्र
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 125
और 128 के अन्तर्गत)

मैं,.....नाम.....
मो10न0/वाट्स-अप नम्बर.....ई-मेल आइडी.....
.....(स्थान) का निवासी.....हूँ मुझसे यह अपेक्षा
की गयी है कि मैं.....की अवधि के लिये
या जब तक.....के न्यायालय में.....
के मामले में इस समय लम्बित जांच समाप्त न हो जाये, या
परिशांति कायम रखने के लिए बन्धपत्र लिखूँ।

इसलिये मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि
उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जाँच समाप्त न हो,
परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा
जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य हो और मैं इसके द्वारा अपने
को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी...
.....रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो
जायेगी।

दिनांक, दिन.....माह.....वर्ष.....

(हस्ताक्षर)

कार्यालय थाना
जनपद.....
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....अन्तर्गत धारा
दिनांक.....रोआम संख्या/ समय.....
थानादिनांक.....जनपद.....
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 179, के
अन्तर्गत नोटिस)

सेवा में,
अभियुक्त/ नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम.....
(अन्तिम ज्ञात पता).....
दूरभाष संख्या/ई-मेल पता, (यदि कोई हो).....
महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मामला
(नाम).....पुत्र.....निवासी.....
की शिकायत पर पंजीकृत किया गया है। मामले का अन्वेषण
अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जा रहा है।

अन्वेषण के उद्देश्य से आपको इस नोटिस के माध्यम से
सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त मामले के
तथ्यों/परिस्थितियों से परिचित हैं, इसलिये आपको उपरोक्त
मामले के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक.....को
समय.....थाने.....पर उपस्थित होना है।

(विवेचक का नाम)

थाना.....

जनपद.....

दिनांक.....

नोट—

1. इस नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने में विफलता पर आप भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 208 के तहत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
2. वह पुरुष जो 15 वर्ष से कम आयु का या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से, या किसी शारीरिक/मानसिक निशक्त व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को पुलिस थाना में शारीरिक उपस्थिति से छूट दी गयी है, जब तक वह स्वयं निर्देशानुसार उपस्थित होने और अन्वेषण में शामिल होने का इच्छुक न हो।

कार्यालयथाना

जनपद.....

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....अन्तर्गत धारा

दिनांक.....रोआम संख्या/ समय.....

थाना.....दिनांक.....जनपद.....

प्रारूप संख्या-30

**अभियोजन चलाने या साक्ष्य देने के लिए बन्धपत्र
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 190 के
अनुसार)**

मैं..... (नाम) मो0नं0.....

/वाट्स-अप नम्बर.....ई-मेल आइडी.....

जो.....निवासी हूँ। अपने को आबद्ध

करता हूँ कि मैं दिनांक.....को.....बजे.....न्यायालय.....

.....में हाजिर होऊंगा और उसी समय क, ख के विरुद्ध.....

.....के आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा

या (अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य दूंगा) (या साक्ष्य दूंगा)

और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ यदि मैं इसमें चूक करूँ तो

मेरी.....रुपये की धनराशि सरकार को समपहृत हो

जायेगी।

दिनांक, दिन.....माह.....वर्ष.....

(हस्ताक्षर)

प्रारूप सं० 47
थान के भारसाधक अधिकारी या न्यायालय के समक्ष
हाजिर होने के लिए बन्धपत्र

मैं.....(नाम).....
.....(स्थान) का निवासी हूँ..... थाने के भारसाधक
अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने
पर (या.....न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से
आरोपित किया गया हूँ तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय
के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है;
मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूँ कि मैं ऐसे
अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, हाजिर
होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या
विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि
यदि इसमें मैं चूक करूँ तो मेरीरुपए को
राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं० 47
थाने के भारसाधक अधिकारी या न्यायालय के समक्ष
हाजिर होने के लिए जमानत पत्र

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्ततः और पृथक्तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त..... (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ (या करते हैं) कि वहथाने के भारसाधक अधिकारी यान्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी रूप की राशि सरकार को समहृत हो जाएगी।
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या
अन्तर्गत धारा दिनांक थाना
जनपद.....

दस्तावेजों का जब्ती भीमो
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 94 के
अन्तर्गत)

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में, मैं
पुत्र.....आयु.....वर्ष, मोबाईल नम्बर.....
ई-मेल आईडी..... निवासी.....

उक्त मामले की विवेचना में शामिल हुआ हूँ और नीचे तालिका में
उल्लिखित दस्तावेज पेश किया हूँ :-

क्र०सं०	दस्तावेज/वस्तुओं का विवरण	पृष्ठ संख्या
1		
2		
3		
4		

उपरोक्त दस्तावेज/वस्तुओं को पुलिस ने अपने कब्जे में
लेकर साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है, जब्ती भीमो कानून के
अनुसार तैयार किया गया है।

दस्तावेज/वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले के हस्ताक्षर (.....)

गवाहान:-

1..... 2.....

विवेचना अधिकारी का नाम.....

थाना/जनपद..... दिनांक.....

कार्यालयथाना
जनपद.....

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/रो0आम संख्या/समय.....
अन्तर्गत धारादिनांक.....
थाना.....

चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध पत्र
(अन्तर्गत धारा 51, 52, 184, भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता-2023)

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जनपद

महोदय,

सादर अनुरोध है कि मैं, श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
उम्र.....को निम्नलिखित पुलिस कार्मिकों की
अभिरक्षा/संरक्षण में चिकित्सा परीक्षण हेतु भेज रहा हूँ।

1. कान्स/पीएनओ.....
2. महिला कान्स0/पीएनओ.....

अतः अनुरोध किया जाता है कि पीड़ित/ पीड़िता/
चोटिहल की चिकित्सीय परीक्षण किया जाये और आवश्यक

प्रदर्शों, यदि कोई हो को कृपया संरक्षित किया जाये और इस मामले के अन्वेषण के उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराया जाये।
धन्यवाद

विवेचना अधिकारी का नाम.....
थाना/जनपद.....
दिनांक.....

**(प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य
अधिनियम-2023)
भाग - क**

(1)

(पक्षकार द्वारा भरा जाना है)

मैं.....(नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी.....,
पता..... निवासरत्/ कार्यरत हूँ।
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं शुद्ध हृदय से कथन करता/करती
हूँ और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ कि -
मैंने निम्नलिखित डिवाइस/डिजिटल रिकार्ड स्रोत
से लिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड/डिजिटल रिकार्ड का
आउटपुट तैयार किया है :-
कम्प्यूटर/स्टोरेज मीडिया () डीवीआर/सीडी/डीवीडी ()
मोबाइल () फ्लैश डीआर () सर्वर ()
क्लाउड () अन्य ()
अन्य

मेक और मॉडल.....

रंग

क्र०सं०

आई०एम०आई०न०/यू०आई०एन०/यू०आई०डी०/एम०ए०सी०/
क्लाउड आई डी.....(जैसा लागू हो) और
युक्ति/ डिजिटल अभिलेख.....के विषय में कोई
अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करें।

डिजिटल उपकरण या डिजिटल अभिलेख स्रोत, नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से सूचना का सृजन करने, भंडारण करने या प्रोसेस करने के लिए विधिपूर्ण मेरे नियंत्रणाधीन थे और इस कालावधि के दौरान कम्प्यूटर या संचार उपकरण समुचित रूप से कार्य कर रही थी तथा व्यवसाय के सञ्चालन क्रम के दौरान सुसंगत सूचना को कम्प्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था। यदि किसी भी समय कम्प्यूटर/ डिजिटल उपकरण समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या प्रचालन में नहीं थी, तब इससे इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल अभिलेख या उसकी शुद्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। डिजिटल उपकरण या डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा :

स्वामित्वाधीन () अनुरक्षित () प्रबंधित ()
प्रचालित () है (जो लागू हो उसका चयन करें)

मैं कथन करता/करती हूँ कि इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथम के माध्यम से अभिप्राप्त (हैश वैल्यू) है।

() एसएचए 1 :
() एसएचए 256 :
() एमडी 5 :
() अन्य.....(विधिक रूप से स्वीकार्य मानक)

(2)

(प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक (दिन/मास/वर्ष)

समय:.....(24 घंटे के प्रारूप में)

स्थान :

(प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य
अधिनियम-2023)
भाग - ख

(विशेषज्ञ द्वारा मरा जाना है)

मैं.....(नाम), पुत्र/ पुत्री/ पत्नी.....
पता.....पर निवासरत्/ कार्यरत हूँ सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञान एवं शुद्ध हृदय से कथन करता/ करती हूँ और
निम्नानुसार प्रस्तुत करता/ करती हूँ कि -

प्रस्तुत किए गये डिजिटल अभिलेख के इलेक्ट्रॉनिक
अभिलेख/निर्गम (आउटपुट) निम्नलिखित उपकरण/ डिजिटल
अभिलेख स्रोत से अभिप्राप्त किये गये हैं (आवश्यकतानुसार
चिन्ह लगाए) -

कम्प्यूटर/ स्टोरेज मीडिया () डीवीआर/ सीडी/
डीवीडी () मोबाईल () फ्लैश डीआर ()
सर्वर () क्लाउड () अन्य ()

अन्य

मेक और मॉडल.....

रंग

क्र०सं०

आई0एम0आई0नं0/यू0आई0एन0/यू0आई0डी0/एम0ए0सी0/
क्लाउड आईडी.....(जैसा लागू हो) और
उपकरण/डिजिटल अभिलेख के विषय में कोई अन्य सुसंगत
सूचना, यदि कोई हो, (विनिर्दिष्ट करें)

मैं कथन करता/करती हूँ कि इलैक्ट्रॉनिक/
डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथम के माध्यम से
अभिप्राप्त, (हैश वैल्यू)..... है।

() एसएचए 1 :

() एसएचए 256 :

() एमडी 5 :

() अन्य.....(विधिक रूप से
स्वीकार्य मानक)

(प्रमाण पत्र के साथ, हैश रिपोर्ट संलग्न करें)

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक

समय :.....(24 घंटे के प्रारूप में)

स्थान :

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... अन्तर्गत धारा.....
दिनांक.....थाना.....

व्यक्ति की तलाशी मीमो
(अन्तर्गत धारा 49, भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता-2023)

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में, श्री.....
.....(मो0न0/वाट्स अप नम्बर.....ई-मेल आईडी.....
.....) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
.....निवासी.....की

व्यक्तिगत तलाशी की कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता-2023 धारा 49 के अन्तर्गत की गयी और उसके कब्जे
से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुईं और उन्हें इस मीमो के माध्यम
से पुलिस के कब्जे में लिया गया।

- 1.....
- 2.....
- 3.....

तालाशी लिये जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
(.....)

गवाहान के नाम/पिता का नाम/पता/मोबाईल/ई-मेल
आईडी-

- 1.....
- 2.....

विवेचनाधिकारी का नाम
थाना.....
जनपद

(1)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु अग्रसारण पत्र
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याथाना.....
दिनांक.....जनपद.....
धारा/विधि.....
अपराध की प्रकृति (आरोप की प्रकृति, संक्षिप्त इतिहास और
सुसंगत विवरण सम्मिलित होना चाहिये)
मामले के संक्षिप्त तथ्य.....
.....
.....

परीक्षण के लिए भेजी गई प्रदर्शों की सूची

1	2	3	4	5
क्र० सं०	विवरण प्रदर्श	प्रदर्श के स्रोत	अंकन	शीट्स की संख्या
1				
2				
3				

आवश्यक परीक्षण की प्रकृति
(किसी भी जानकारी सहित जो परीक्षण में सहायता करेगी)

कृपया मत दें :-

1.
2.
3.

मेमो नं०/एसएचओ.....दिनांक...../ 20
निदेशक, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ उ०प्र० सरकार
को अग्रसारित

दिनांक.....

नमूना सील छाप

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

(मोहर सहित)

**विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रसारित करने हेतु सक्षम
अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र**

(2)

(सक्षम अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर
निदेशक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पता.....को
अग्रसारित किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक, फॉरेंसिक विज्ञान
प्रयोगशालाएफआईआर सं०.....
दिनांक.....अंतर्गत धारा.....थाना.....
को मामले के संबंध में भेजे गये प्रदर्शों का परीक्षण करने
हेतु उन्हें अधिकृत करते हुए परीक्षण करने के उद्देश्य से
भेजा गया है।

दिनांक

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

(मोहर सहित)

कार्यालयथाना
जनपद.....
मु0अ0सं0/रो0आम संख्या व समय.....
अन्तर्गत धारा.....दिनांक.....
थानाजनपद.....
(नोटिस अन्तर्गत धारा 195, भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता-2023)

सेवा में,

(अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम)
(अन्तिम ज्ञात पता).....
दूरभाष संख्या/ई-मेल पता, (यदि कोई हो).....

आपको सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0.....
पुत्र.....निवासी.....की मृत्यु के
कारणों का पता लगाने के लिये अन्वेषण कार्यवाही शुरू की गयी
है, मामले का अन्वेषण अधोस्ताक्षरी द्वारा किया जा रहा है।

चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप उपरोक्त मामले
के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित हैं। अन्वेषण के दौरान
साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक.....समय.....
पूर्वाह्न/अपरान्ह.....स्थान.....थाना.....
जनपद.....पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आप उपस्थित
होना सुनिश्चित करें।

(विवेचक का नाम).....
थाना.....
जनपद.....
दिनांक.....

कार्यालय.....थाना.....जनपद.....
एफआईआर संख्या.....अंतर्गत धारा.....दिनांक.....
थाना.....रोओआम संख्या व समय.....
थाना.....दिनांक.....जनपद.....
**(अन्वेषण की प्रगति अंतर्गत धारा 193(3)(ii) भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता-2023)**

सेवा में,

..... (नाम)
..... (पता)

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले के संबंध में अन्वेषण में निम्नलिखित प्रगति हुई है, जिसकी विवेचना अद्योहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है :

अन्वेषण की अब तक की प्रगति :-

1.
2.
3.
4.

इस संबंध में अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आप मुझ अन्वेषण अधिकारी से या थाना.....के भारसाधक अधिकारी से थाने पर.....को समय.....के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।

नाम/पदनाम अन्वेषण अधिकारी.....
मोबाईल नं०.....
थाना/इकाई.....

किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण)
आदर्श नियम-2016 के [निबन्ध 8(1),8(5)] के अनुसार
सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

- प्राथमिकी / जी०डी० संख्या.....
 अन्तर्गत धारा.....
 पुलिस स्टेशन.....
 दिनांक व समय
- अन्वेषण अधिकारी का नाम.....
 सी०डब्ल्यू०पी०ओ० का नाम
1. नाम.....
 2. पिता/माता/संरक्षक का नाम,
 3. आयु/जन्म की तारीख.....
 4. पता.....
 5. धर्म
 - (i) हिन्दू (ओसी/बीसी/एससी/एसटी)
 - (ii) मुस्लिम/ईसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 6. यदि बालक विकलांग है :
 - (i) सुनने में अक्षम
 - (ii) बोलने में अक्षम
 - (iii) शारीरिक रूप से विकलांग
 - (iv) मानसिक रूप से निःशक्त

7. परिवार के ब्यौरे

नियत प्रारूप में

क्र०सं०	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

व्यवसाय	आयु	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8. घर छोड़ने के कारण.....

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है, यदि कोई हो।

हाँ, नहीं

10. बालक की आदतें

क	ख
धूमपान	टी०वी०/फिल्में देखना
शराब का सेवन करना	अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना
औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें	पुस्तकें पढ़ना
जूआ खेलना	पुस्तकें पढ़ना
भीख मांगना	झाड़ंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
भीख मांगना	कोई अन्य
कोई अन्य	

(3)

- (iv) समकक्ष-समूह का प्रभाव
- (v) अर्जन और परिवार की मदद करना
- (vi) माता-पिता की असाभाविक मृत्यु
- (vii) स्कूल में उत्पीड़न
- (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
- (ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
- (x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
- (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
- (xii) स्कूल में अपमान
- (xiii) शारीरिक दंड
- (xiv) शिक्षण का माध्यम
- (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके ब्यारे :

- (i) निगम/नगर-निगम/पंचायत
- (ii) सरकारी अनु०जा० कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
- (iii) प्राइवेट प्रबंधन
- (iv) एन०सी०एल०पी० के अन्तर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो.....

17. अधिकांश मित्र :

- (i) शिक्षित
- (ii) निरक्षर
- (iii) उसी आयु वर्ग के
- (iv) आयु में बड़े
- (v) आयु में छोटे
- (vi) एक ही लिंग के हैं
- (vii) अन्य लिंग के हैं
- (viii) लतें
- (ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अधीन रहा है :

हाँ नहीं

क्र०सं०	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	गौणिक दुर्व्यवहार—माता—पिता /सहोदर भाई—बहन/ नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता—पिता /सहोदर भाई—बहन/ नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

- (4)
19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है: हाँ नहीं
20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ? हाँ नहीं
21. माता-पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हम उम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण :...
22. ये परिस्थितियाँ जिनमें बालक को पकड़ा गया.....
23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा.....
24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका.....
25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव.....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

**किशोर को पकड़ने के संबंध में प्रपत्र
(किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण)
अधिनियम-2015 की धारा-10)**

- एफआईआर नं०.....दिनांक.....
अंतर्गत धाराथाना.....जनपद.....
1. बच्चे का नाम, उपनाम (यदि कोई हो).....
 2. बच्चे का वर्तमान पता.....
 3. बच्चे का स्थाई पता.....
 4. एफआईआर/जीडी नं० और धारा/विधि.....
 5. पकड़ने का स्थान.....
 6. पकड़ने का दिनांक एवं समय
 7. पकड़ने के विषय में सूचित किये जाने वाले व्यक्ति का नाम,
पता एवं मोबाईल नं०.....
 8. व्यक्ति का विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंध.....
.....
 9. पकड़ने वाले अधिकारी का नाम, पद और मो०नं०.....

10. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम, पद और
मो०नं०.....

गवाह एवं उनका पता

1.

2.

हस्ताक्षर अभिभावक/संरक्षक/
परिवीक्षा अधिकारी/समाज कल्याण

हस्ताक्षर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

थाना.....जनपद.....

किशोर की व्यक्तिगत तालाशी रीमो
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-49)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....दिनांक.....
अन्तर्गत धारा.....थाना.....
जनपद.....

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में, मैं कानून का
उल्लंघन करने वाले बच्चा, (नाम).....पुत्र.....
.....निवासी.....की व्यक्तिगत
तालाशी धारा 49 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के
अन्तर्गत ली गयी। तालाशी के दौरान उसके कब्जे से
निम्नलिखित वस्तुएं पायी गयी।

- 1.....
- 2.....
- 3.....

गवाहान-

- 1.....
- 2.....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
के हस्ताक्षर.....
थाना.....
जनपद.....

आयु-मीमा

(युवा अपराधियों के मामले में भरा जाने वाला)

प्रथम सूचना रिपोर्ट नं०..... दिनांक.....
अन्तर्गत धारा.....थाना.....
जनपद.....

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम	
पिता-माता का नाम	पिता-
	माता-
गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बतायी गयी जन्म तिथि	
गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	
गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र और जन्मतिथि (दर्शाने वाले उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाण का नाम, यदि उपलब्ध हो)	
गिरफ्तार की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बतायी गयी उम्र (केवल उस स्थिति में जब गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी उम्र का पता न हो)	
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा देखी गयी उम्र (केवल तभी	

दर्ज की जाये जब गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा उम्र नहीं बतायी जा सके और उम्र के बारे में जानकारी देने के लिये कोई उपलब्ध न हो)		
स्कूल का नाम, अन्तिम बार कक्षा में उपस्थित और छोड़ने का वर्ष		
क्या गिरफ्तार व्यक्ति पर किशोर न्याय अधिनियम-2015 के प्राविधान के तहत कार्यवाही की गयी है (गिरफ्तार व्यक्ति व उसके परिवार के सदस्यों/ रिश्तेदारों द्वारा प्रासंगिक कालम पर निशान लगाया जाना है)	हाँ	वर्ष
	नहीं	
	याद नहीं	शायद हाँ
किशोर से पूर्व जॉच का इतिहास	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	
न्याय बोर्ड (यह कॉलम नोडल विशेष किशोर पुलिस ईकाई से किये गये सत्यापन के अनुसार भरना होगा)	प्रथम सूचना रिपोर्ट/ जी०डी०संख्या.....	
	अपराध की तिथि.....	
	थाना.....	

	अन्तर्गत द्वारा.....
	क्या गिरफ्तार व्यक्ति या उसके माता-पिता/ रिश्तेदारों/परिजनों के पास आयु घोषणा की प्रति उपलब्ध है।.....
	किशोर न्याय बोर्ड द्वारा घोषित आयु.....
	जनपद.....
	किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की गयी आयु घोषणा के अनुसार वर्तमान अपराध के समय आयु.....

गवाह.

1.

जेडब्लूओ का नाम और नम्बर जिसे इस गिरफ्तारी की सूचना दी गयी हो	
दिनांक	
समय	
विवेचक का नाम या अन्य पुलिस	

अधिकारी, जिसके द्वारा यह आयु मीमो तैयार किया गया हो	
पदनाम/संख्या	
पुलिस स्टेशन	
जिला	
आयु मीमो तैयार करने की तिथि/समय	
इस आयु मीमो को तैयार करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर	

गिरफ्तार व्यक्ति से पावतो

मुझे दिनांक.....समय.....स्थान.....
पर इस आयु मीमो की प्रति प्राप्त हुयी है

(गिरफ्तार व्यक्ति का नाम/हस्ताक्षर)

माता-पिता/परिवार से पावतो

मुझे दिनांक.....समय.....स्थान.....पर इस
आयु मीमो की प्रति प्राप्त हुयी है

(गिरफ्तार व्यक्ति के पिता/
माता/पत्नी/परिजनों के
नाम/हस्ताक्षर)

**किशोर को पकड़ने की सूचना
(किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण)
नियम-2019 (नियम-8(2)(II))**

प्रथम सूचना रिपोर्ट नं०..... दिनांक..... अन्तर्गत
धाराथाना.....जनपद.....

सेवा में,

प्रोबेशन अधिकारी
जनपद

विषय :- विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर
.....पुत्रनिवासी.....
जन्मतिथि..... मोबाइल नं०के सम्बन्ध में
सूचना।

महोदय/महोदया,

कृपया सूचना आपके संज्ञानार्थ सादर प्रेषित है।

विदेचक/बाल कल्याण
पुलिस अधिकारी.....
थाना
जनपद

चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध
(उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख देख व
संरक्षण) नियम-2019 के नियम 8(iv)

प्रथम सूचना रिपोर्ट/रोआम संख्या/समयदिनांक.....
अन्तर्गत धाराथाना.....जनपद.....
सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद

विषय :- चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुरोध।
महोदय,

सादर अनुरोध है कि कु0/श्री.....पुत्री/पुत्र
निवासी.....उम्र.....को
निम्नलिखित पुलिस कार्मिकों की अभिरक्षा/सुरक्षा में चिकित्सा
परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है।
कान्स/पीएनओ.....
महिला कान्स0/पीएनओ.....

अतः अनुरोध किया जाता है कि बालक के
शरीर की चिकित्सीय परीक्षा कर, परीक्षण रिपोर्ट अपने अभिमत सहित
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर.....).
विवेचक/बाल कल्याण पुलिस
अधिकारी का नाम.....
थाना
जनपद
दिनांक.....

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का कथानक
(उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख देख व
संरक्षण) नियम-2019 के नियम 8(v)(vi))
(बालक के पिता/माता/अभिभावक/योग्य व्यक्ति/परिवीक्षा
अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किये जाने वाला कथानक)

कार्यवाही संचालित की गयी,
दिनांक.....समय.....से.....तक

पिता/माता/अभिभावक/योग्य व्यक्ति/परिवीक्षा अधिकारी के
हस्ताक्षर.....

विवेचक/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

थाना

जनपद

दिनांक

विशेष रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के कथानक
के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार आदि के
आरोप लगाये जाने पर अनुवर्ती कार्यवाही की सिफारिश की जाती
है।

विवेचक/ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रकाशन विभाग
डॉ० भीमराव आम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी
मुरादाबाद